International Journal of History 2024; 6(2): 259-260

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2024; 6(2): 259-260
Received: 26-08-2024
Accepted: 30-09-2024

डॉ. रोशन गहलोत
सहायक आचार्य (इतिहास विभाग)
वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय, सिवाना, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. रोशन गहलोत
सहायक आचार्य (इतिहास विभाग)
वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय, सिवाना, राजस्थान, भारत

माणिक्यलाल वर्माः कुम्भ्लगढ की जेल यात्रा

डॉ. रोशन गहलोत

प्रस्तावना

सन् 1931 का बिजोल्यां किसान सत्याग्रह राजस्थान सेवक संघ के टूटने के बाद हुआ था। पथिक जी ने बिजोल्यां पंचायत का मार्ग दर्शन करने तथा बिजोल्या से अपने को हटा लिया था। वास्तविक स्थिति तो यह थी कि सन् 1931 के बिजोल्यां किसान आंदोलन का औपचारिक नेतृत्व तो श्री जमनालाल बजाज के हाथ में था तथा हरिभाऊ परामर्शदाता थे ऐसा कहा जा सकता है परन्तु स्थानीय और क्रियान्तमक नेतृत्व एक मात्र श्री माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में था। उन्होने ही उस आन्दोलन का संचालन किया था।

1931 के आन्दोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने महामना मालवीय जी को मेवाड सरकार से बातकर बिजोल्यां के किसानों को न्याय दिलाने के लिए लिखा। महात्मा जी के अनुरोध के फलस्वरूप महानता मालवीय जी ने मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर सुखदेव को बिजोल्यां ठिकाने के किसानों के साथ न्याय करने के लिये पत्र लिखा।[1]

कुटनितिज्ञ सर सुखदेव ने देखा कि श्री माणिक्यलाल वर्मा पर वार करने का और उन्हें किसानों से अलग कर देने का यही अनुकुल अवसर है। यह उनकी कूटनीति थी कि किसानों को थोड़ी राहत तथा सुविधाऐं देकर महात्मा गांधी व मालवीय जी की दृष्टि में उदार बन जावें, किसानों की सहानुभूति प्राप्त कर लें किन्तु आन्दोलन के प्राण और वास्तविक नेता को किसानों से पृथक कर किसान आंदोलन को प्राणहीन बना दिया जावे। बिजोल्यां किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में 1915 ई में विजयसिंह पथिक को साधु सीताराम दास ने आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए अनुरोध किया।[2] वहां जागीर के कर्मचारी माणिक्यलाल वर्मा पथिक जी से प्रभावित होकर आजीवन देशभक्ति व कर्त्तव्य निष्ठा की शपथ ली।[3] 1920 ई में अत्याचारी सामंती व्यवस्था व निरंकुश राजतंत्र के विरूद्ध राजस्थान का यह प्रथम विद्रोह था, जो साधारण किसानों का संघर्ष था जिसको माणिक्यलाल वर्मा ने सशक्त नेतृत्व दिया।[4]

उदयपुर के महाराणा इस आन्दोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा था। महाराणा की स्वीकृति से ठिकाने के किसानों के प्रति दमन चक्र तीव्रता से प्रारम्भ हो गया। प्रमुख किसान नेताओं, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास को बंदी बना लिया। इसका विरोध करते हुए लगभग 500 किसानों ने बिजोलिया गढ के समक्ष प्रदर्शन किया। माणिक्यलाल वर्मा ने अपना जीवन किसानों के उत्थान में समर्पित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामण्डल की बैठक में जागीरदारों के बढते अत्याचारों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जो कि सर्वसम्मति से पारित हो गया।[5] माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में मेवाड़, क्षत्रिय, परिषद् में सामन्तवाद के समर्थक जागीरदारों की सभा में जागीरदारों के अत्याचारों व आम जनता पर हमला करने के लिए महाराणा उदयपुर को जिम्मेदार माना। वर्मा ने मेवाड़ की जनता को संयुक्त मोर्चा कायम कर अहिंसक और शांति से संघर्ष करने की सलाह दी।[6] इसी संघर्ष में माणिक्यलाल वर्मा ने कई बार जेल यात्रा की व पुलिस अत्याचार के शिकार हुए। इसी सम्बन्ध में उन्हें कई बार मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा को 02 फरवरी 1931 को सरहद ऊंचा इलाका मेवाड़ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान वर्मा को कुछ चोटें आई, जिससे उन्हें जहाजपुर के अस्पताल में दिखा गया। डॉ मोडीलाल ने उनकी जांच की तथा सिरदर्द व कब्ज के लिए इलाज के लिए अस्पताल में रहने की सलाह दी।[7] मेवाड़ प्रजामण्डल के सहायक मंत्री नंदलाल जोशी ने मेवाड़ सरकार को पत्र लिखकर वर्मा के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त की। जोशी ने लिखा कि माणिक्यलाल वर्मा को 40–50 दस्तें प्रतिदिन हो रही है तथा दो–दो घंटे तक बेहोशी रहती है। यदि उनके प्रति किसी तरह की लापरवाही बरती गई और जनता की भलाई के लिए इस वीर पुरूष की आहुति हो गई, तो भी मेवाड़ के लिए अच्छा नहीं होगा।[8]

मेवाड़ सरकार को सेटलमेंट एसीसटेंट ने माणिक्यलाल वर्मा को ऊपरमाल से हटाकर पांच साल तक किसी दूसरी जगह रहने लायक जमीन व मकान देने की सलाह दी, ताकि वर्मा ऊपरमाल के किसानों से सम्पर्क में न रहें।

यह भी कहा कि यदि कोई धाकड़ किसान काँग्रेस नेताओं से मिलने अजमेर जाये तो उन्हें मेवाड़ आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।[9]

जब मेवाड़ सरकार ने 1922 ई. के किसानों के साथ आपसी समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, तो किसानों ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और अपनी जमीनों पर हल चलाना आरम्भ कर दिया। 1927 ई. में जमीन पर लगान बढा दिया, अक्षय तृतीय, 21 अप्रेल को किसान नेता माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 26 किसानों को और गिरफ्तार किया गया। 1922 के फैसले के खिलाफ हिरासत में मामूली कैदियों सा व्यवहार किया जा रहा है। उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई है। माणिक्यलाल वर्मा को कई बार कम्बल ओढा कर कई घंटे धूप में बिठाने को मजबूर किया गया तथा मारपीट भी की गई।[10]

मेवाड़ प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों का विवरण माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी पुस्तक "मेवाड़ राज्य का शासन" चन्द पेम्पलेट व गाने भी छपवाये। इस पुस्तक में मेवाड शासन की बुराईयों को जनता के सामने रखा, जिससे शीघ्र ही इस पुस्तक के प्रकाशन पर पाबन्दी लगा दी गई।[11]

माणिक्यलाल वर्मा ने अपना सम्पूर्ण जीवन किसानों के हितों के लिए न्यौछावर कर दिया। मेवाड़ प्रशासन में पुलिस के जुल्मों को सहर्ष स्वीकार किया। काफी समय तक जेल में रहे। जिनमें कुंभलगढ़ जेल की नजरबंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। कुंभलगढ़ की जेल को काले पानी की सजा कहा जा सकता है। 1932 में जब माणिक्यलाल वर्मा तथा अन्य कार्यकर्त्ता, नारायण जी पटेल (बड़ौदा), नारायण जी बेरीसाल, अमरचन्द जी, किसनाराम, कल्याणपुरा के साथ मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से मिलने उदयपुर गए। वार्तालाप के समय सुखदेव प्रसाद बहुत गुस्से में थे, उन्होने माणिक्यलाल वर्मा को कहा कि "तुम माणिक्य बदमाश हो, तुम सरकार की बात नहीं मानते हो, तुमने किसानों का सामाजिक बहिष्कार करवाया है, तुम यहां के सर्वेसर्वा बन गए हो।" सर सुखदेव प्रसाद ने कहा कि किसान तुम्हारी शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे डरते हैं। फिर सुखदेव प्रसाद ने वर्मा के साथ नरम रूख अपनाते हुए एक प्रस्ताव रखा कि तुम सरकार की शर्त स्वीकार कर सरकारी अफसर बन जाओ, सरकार सभी सुविधाऐं देगी। परन्तु माणिक्यलाल वर्मा ने जो उत्तर दिया, वह सुखदेव की आशा के विपरीत था। माणिक्यलाल ने कहा कि "हमारे ऊपरमाल (बिजोलिया) में एक ऊंचा पहाड़ है जिसे दरोली की धार कहते हैं। जब मैं उस पर चढ़कर देख लूंगा कि बिजोलिया के किसान की एक–एक इंच भूमि उनके मूल मालिकों को मिल गई है तो मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। परन्तु आज मुझे विचार करने की फुर्सत नहीं है।[12]

सर सुखदेव प्रसाद का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा तथा बोले "इतना घमण्ड" पुलिस इन्सपेक्टर को कहा पकड़ो इसे और ले जाकर कुंभलगढ में नजदबंद कर दो।" वर्मा की नजरबंदी की आज्ञा तत्काल दी गई। वर्मा ने जेल जाने के लिए सवारी की मांग की, तुरन्त ही तांगा लाने की आज्ञा दी गई। वहीं से वर्मा ने किसान प्रतिनिधियों व अपने साथियों से विदा लेकर जेल के लिए रवाना हो गए। पुलिस पहलें उन्हें रंगविलास थाने लायी वहां रातभर उन्हें वहां पहरे में रखा गया। वहां से ऊंट पर सवार होकर दो दिन बाद कुंभलगढ पहुंचे।

कुंभलगढ उदयपुर से दूर निर्जर पहाडी स्थान है, जहाँ पहियेदार गाडी नहीं चलती, सड़क का अभाव था।[13]

श्रीमती स्नेहलता ने अपने संस्मरण में बताया कि 6–7 महिने तक वो अकेले ही रहे, परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। बलवन्तसिंह मेहता से पता चला कि उन्हें केलवाडा कुंभलगढ भेज दिया। जहां एक कोठरी में बंद रखा गया था। माँ ने भी पिता के साथ रहन की इच्छा व्यक्त की। अतः परिवार सहित वहां रहने की आज्ञा दी गई। कुंभलगढ की नजरबन्दी की अवधि समाप्त होने को थी, कि उन्हें टायफाइड हो गया। स्थिति गंभीर होने पर भी कोई चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं की गई। वर्मा ज्वर से पीडित थे। डॉक्टर राधाकृष्ण उनकी चिकित्सा हेतु भेजे गये। इसी कारण सरकार ने वर्मा की नजर बंदी हटा ली, परंतु मेवाड से निष्कासित कर दिया। 1933 में मेवाड़ पुलिस की हिरासत में उन्हें अजमेर ले जाकर छोड़ दिया। वर्मा ने लिखा "अनेक जेल यात्राओं में कुंभलगढ़ की नजरबंदी भी सामन्तों निरकुंशता की एक कूट स्मृति हृदय पर छोड़ गयी इससे संकल्प और भी मजबूत हो गया।[14]

माणिक्यलाल वर्मा सशक्त व निर्भिक लोक नायक थे। वे सरकार की यातनाओं से तनिक भी विचलित नहीं हुए। मेवाड से निष्कासित किये जाने के बाद उन्होने अजमेर में रचनात्मक एवं राजनैतिक कार्यों का प्रारम्भ किया और राजस्थान सेवक मण्डल की स्थापना की। अजमेर से 7 मील दूर नारेली नामक स्थान पर 1934 ई. में नारेल आश्रम खोला। 15 आश्रम का कार्य मुख्यतः हरिजन सेवा से प्रारम्भ हुआ।[15]

इस प्रकार माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों व आम जनता के लिए सामाजिक जागृति व उत्थान का कार्य किया।

संदर्भ सूची

1. शंकर सहाय सक्सेना, यशोगाथा माणिक्यलाल वर्मा, मुक्तवाणी प्रकाशन बीकानेर, पृष्ठ संख्या 67–68
2. राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन पृ. 60
3. आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास– डॉ0 बृज किशोर शर्मा, पृ. 238
4. पूर्वोक्त
5. प्रजामण्डल उदयपुर बस्ता नम्बर, 21 फाईल ने 17, पृ. 05
6. प्रजामण्डल उदयपुर बस्ता नम्बर, 21 फाईल ने 17, पृ. 09
7. कॉन्फिडेन्टल उदयपुर बस्ता नम्बर 01, फाईल नं 05 पृ. 14
8. कॉन्फिडेन्टल उदयपुर बस्ता नम्बर 01, फाईल नं 05 पृ. 19
9. कॉन्फिडेन्टल उदयपुर बस्ता नम्बर 04, फाईल नं 38 पृ. 25
10. कॉन्फिडेन्टल उदयपुर बस्ता नम्बर 12, फाईल नं 118 पृ. 202–204
11. कॉन्फिडेन्टल उदयपुर बस्ता नम्बर 12, फाईल नं 111 पृ. 24–25
12. वर्मा के संस्करण
13. शंकर सहाय सक्सेना, यशोगाथा, माणिक्यलाल वर्मा, मुक्तावाणी प्रकाशन बीकानेर पृ. 71–73
14. डॉ नगेन्द्र शर्मा "कुसुम राज. में स्वतंत्रता संग्राम के अमरपुरोधा माणिक्यलाल वर्मा पृ. 35–38, जयपुर ग्रंथमाला–18
15. पूर्वोक्त पृ. 80–91